भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या – 832**

(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2015 को दिया गया)

**एसएफआईओ का सुदृढ़ीकरण**

**832. श्री हुसैन दलवई :**

क्‍या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांचे गए मामलों की संख्या क्या है;

(ख) इनमें से कितने मामले निपटाए जा चुके हैं और कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा एसएफआईओ को और भी सुदृढ़ करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)**

**(क) और (ख):** गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा जांच किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :-

|  |  |
| --- | --- |
| एसएफआईओ की स्थापना से अब तक उसे जांच हेतु भेजे गए मामलों की कुल संख्या | 307 |
| ऐसे मामलों की संख्या जिनमें जांच पूरी की गई  | 174 |
| ऐसे मामलों की संख्या जिनमें जांच की जा रही है | 121 |
| वापस लिए गए/माननीय न्यायालयों द्वारा निरस्त किए गए/स्थगित किए गए मामलों की संख्या | 12 |
| योग | 307 |

**(ग):** एसएफआईओ को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 के अधीन सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। प्रभावी तरीके से जांच के संचालन हेतु एसएफआईओ को सशक्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 212, 217, 219 और 220 में समर्थकारी प्रावधान शामिल हैं। एसएफआईओ को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर प्रशासनिक और वित्तीय उपाय किए जाते हैं।

\*\*\*\*\*